सागर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट

डिपार्टमेंन्ट ऑफ फार्मेसी, बाराबंकी

क्रम सं.	विक्रेता /क्रेता का विवरण	पुराना गाटा संख्या	क्षेत्रफल 143 के अनुसार	क्षेत्रफल लैण्ड पेपर के अनुसार	नया गाटा खसरा संख्या	नये गाटे में क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	विक्रेता 1. नान्हु पुत्र कुरवान, निवासी–सुरसण्डा, बाराबंकी 2. श्रीमती छेदाना विधवा गफूर, सुरसण्डा बाराबंकी। 3. रज्जव पुत्र श्री राजू, निवासी–सुरसण्डा 4. नव्वन पुत्र कुरबान निवासी–सुरसण्डा क्रेता – सागर एजूकेशनल सोसायटी द्वारा सुनील कुमार झुनझुनवाला, बाराबंकी	2225 मि.	0.212	0.0380 0.0510 0.0510 0.0510	2892 क	0.2140	
2	विक्रेताः इस्माईल उर्फ इस्लाम पुत्र साकिर निवासी– सुरसण्डा, बाराबंकी क्रेता – सागर एजूकेशनल सोसायटी द्वारा सुनील कुमार झुनझुनवाला, बाराबंकी	1449	0.040	0.040	1405	0.0800	
3	विक्रेताः अभय गुप्ता पुत्र शिव सरण, निवासी – सरावगी बाराबंकी। क्रेता – सागर एजूकेशनल सोसायटी द्वारा सुनील कुमार झुनझुनवाला, बाराबंकी	2112	0.7590	0.1265 0.6325 0.7590 0.7590	2767	0.7590	
			1.011	0.990		1.053	

T. 20140412012969

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 590 / 13–14

अ0 धारा–143 ज0वि0 अधि0
ग्राम सुरसण्डा, परगना व
तहसील नवाबगंज, बाराबंकी।

सागर एजूकेश्नल सोसायटी द्वारा सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला पुत्र पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला निवासी निकट कोतवाली फैजाबाद रोड, बाराबंकी

बनाम सरकार

नकल आदेश दि0 14/2/14 की छायाप्रति

सागर एजूकेश्नल सोसायटी द्वारा सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला पुत्र पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला निवासी निकट कोतवाली फैजाबाद रोड, बाराबंकी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0 अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी उपरोक्त सोसायटी का सचिव है तथा आकार पत्र 23 में चक संख्या 64 की गाटा संख्या 2225मि / 0.230हे0, 1449 / 0.040हे0 तथा 2112 / 0.759हे0 स्थित ग्राम सुरसण्डा, परगना व तहसील नवाबगंज उपरोक्त सोसायटी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर खेती नही की जाती है भूमि पूर्णतया अकृषिक है। भूमि के सम्बन्ध में कोई भी वाद किसी न्यायालय पर गतिमान नही है। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषिक घोषित किए जाने की याचना की गयी है।

इस प्रार्थना–पत्र की जांच चकबन्दी अधिकारी से करायी गयी। चकबन्दी अधिकारी की आख्या में कहा गया है कि गाटा संख्या 2225 / 2मि. रकबा 0.212हे0 पर सागर स्कूल विद्यमान है तथा गाटा संख्या 2112 व 1449 चकबन्दी कियाओं से पृथक अंकित है तथा उपरोक्तानुसार गाटा संख्या 2225 व 2112 व 1449 दौरान चकबन्दी पड़ताल में उल्लेख किया गया दर्शाया गया है। उक्त गाटे धारा 143 अकृषिक घोषित हो जाने से चकबन्दी कियाओं में प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। इस प्रार्थना–पत्र की जांच तहसील से करायी गयी। तहसील की आख्या में कहा गया है कि ग्राम सुरसण्डा, परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की जो0च0आकार पत्र–23 भाग 1 के कमांक 64 की गाटा संख्या 2225 रकबा 0.212हे0 व कमांक 161 की गाटा संख्या 1449 रकबा 0.040हे0 व कमांक 895 की गाटा संख्या 2112 रकबा 0.759हे0 मा0गु0 परता खाता पर सागर एजूकेश्नल सोसायटी सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला पुत्र पुरुषोत्तमलाल झुनझुनवाला नि0 निकट कोतवाली फैजाबाद रोड, शहर व जिला बाराबंकी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटाओं पर स्कूल बना हुआ है व अंश भाग खाली पड़ा है, जिस पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही किये जा रहे हैं। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

मैंने तहसील व चकबन्दी की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध जो0च0आकार पत्र 23 भाग 1 व आकार पत्र नियम–135 सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। आकार पत्र नियम–135 के विशेष कालम के अनुसार उपरोक्त भूमि पर स्कूल बना हुआ है एव अंश भाग खाली पडा हुआ है। अतएव इसे धारा–143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जा सकता है।

अतः ग्राम सुरसण्डा, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के जो0च0आकार पत्र–23 भाग 1 की खाता सं0 64 की गाटा सं0 2225मि. / 0.212हे0 व खाता सं0 161 की गाटा सं0 1449 / 0.040हे0 व खाता सं0 895 की गाटा सं0 2112 / 0.759हे0 मा0गु0 परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। चकबन्दी एवं तहसील की जाच आख्या आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार नवाबगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत भू–भाग के सीमांकन हेतु नियमानुसार देय शुल्क आवेदक से जमाकोष कराकर मेडबन्दी सुनिश्चित करायें। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को अभिलेखों में अंकन हेतु भेजी जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 14 फरवरी, 2014

14.2.14

(अनिल कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी,नवाबगंज,
बाराबंकी।

छायाप्रति
TRUE COPY
18/2/14

1283
17/2/14
18/2/14